न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारीः प्रियंका कडेला, आर.ए.एस.

टी.आई. प्रार्थना पत्र संख्या 23/2025

शंभू लाल आदि बनाम ओमप्रकाश

प्रार्थना पत्र दिनांकित 12.2.2026

आदेश दिनांकः 19.2.2026

इस आदेश द्वारा अप्रार्थी ओमप्रकाश आदि की ओर से पेश किए गए प्रार्थना पत्र दिनांकित 12.2.2026 का निस्तारण किया जा रहा है, जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया है कि उक्त उनवान से सम्बन्धित किसी प्रकार का मूल प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, मूल प्रकरण के अस्तित्व में न होने के कारण उससे सम्बन्धित किसी प्रकार का अन्य प्रकरण काबिल ए पेशरफ्त नहीं हो सकता, इसलिए प्रार्थीगण की ओर से पेश किया गया प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे ।

इस प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए प्रार्थीगण शंभू लाल आदि की ओर से कथन किया गया है कि उक्त प्रकरण से सम्बन्धित मूल वाद पत्र की पत्रावली रिकॉर्ड रूम से आ चुकी है तथा प्रार्थीगण की ओर से पेश किया गया प्रार्थना पत्र सही आधारों पर पेश किया गया है तथा अप्रार्थी ओमप्रकाश आदि की ओर से पेश किए गए प्रार्थना पत्र को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 14:24:09 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
बामनवास (गंगापुर सिटी)

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया । दोनों पक्षकारान द्वारा अपने अपने अभिवचनों के अनुसार बहस की गई है । हमारे द्वारा प्रार्थी पक्ष (शंभू लाल आदि) के अधिवक्ता से टी.आई. से सम्बन्धित मूल प्रकरण के अस्तित्व के होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी टी.आई. प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित मूल प्रकरण का आज दिनांक में अस्तित्व में नहीं होना बताया और न ही मूल वाद पत्र के विचाराधीन होने बाबत किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश किया गया है, ऐसी स्थिति में जब मूल वाद पत्र ही अस्तित्व में नहीं है तो हमारे विनम्र मतानुसार मूल प्रकरण से सम्बन्धित अन्य कोई दीगर प्रकरण न्यायालय में नहीं चल सकता और इस आधार पर प्रार्थी पक्ष की ओर से पेश किया गया अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किए खारिज किए जाने योग्य पाया जाता है, तदनुसार अप्रार्थी ओमप्रकाश आदि की ओर से पेश किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण शंभू लाल आदि की ओर से पेश किया गया हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 14:24:09 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 19.2.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (गंगापुर सिटी)

(प्रियंका कडेला)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

Scanned with CamScanner